

# कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र 30प्र0 गोरखपुर।

पत्रांक : 2754 / 2-6 दिनांक : गोरखपुर : मई 17 / 2021

सेवा में,

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण  
नई दिल्ली।

विषय— माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित Original Application NO. 47/2021 मनमोहन शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2021.

महोदय,

उपरोक्त प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2021 के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार निवेदन के साथ प्रेषित है:—

1— यह कि गाटा संख्या-2214 काफी बड़े भू-भाग में है, जिसमें वन विभाग व विभिन्न कारशकारों के मिलजुमला क्षेत्रफल अंकित होने की दृष्टिगत एवं वन विभाग की भूमि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4 में अधिसूचित होने के कारण तथा ग्राम-जंगल बेलहर चकबन्दी प्रकिया के अन्तर्गत होने से राजस्व मानचित्र में गाटावार विवरण तरमीम न होने के कारण जिलाधिकारी, संतकबीरनगर से उक्त के निस्तारण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, संतकबीरनगर द्वारा जिलाधिकारी, संतकबीरनगर से एक जॉच समिति बनाकर गाटा संख्या 2214 ग्राम-जंगल बेलहर की जॉच कराने का अनुरोध पत्रांक 2281/33-1, दिनांक 11-4-2019 द्वारा किया गया। पत्र की छायाप्रति संलग्न है। (छायाप्रति संलग्नक-1) तत्कम में जिलाधिकारी, संतकबीरनगर के पत्रांक 424/शि0लि0 दिनांक 04.05.2019 (छायाप्रति संलग्नक-2) के द्वारा उप जिलाधिकारी, मेंहदावल की अध्यक्षता में वन विभाग एवं चकबन्दी अधिकारी की संयुक्त टीम गठित की गयी। तत्कम में उक्त टीम द्वारा जिलाधिकारी, संतकबीरनगर को उप जिलाधिकारी मेंहदावल के पत्र सं0-496/एस0टी0-19 दिनांक 17.06.2019 द्वारा संयुक्त आख्या प्रस्तुत की गयी। (छायाप्रति संलग्नक-3)

2— यह कि इस कार्यालय के पत्र संख्या-2480/2-6 दिनांक 23.03.2021 द्वारा प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, संतकबीरनगर से आख्या मांगी गयी तत्कम में प्रभागीय वनाधिकारी संतकबीरनगर के पत्रांक 2413/33-1, दिनांक 13.05.2021 के द्वारा जॉच आख्या मय अभिलेखीय साक्ष्यों सहित इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी तथा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि संयुक्त जॉच आख्या के दृष्टिगत प्रश्नगत ईट भट्टा के संचालन हेतु अनापत्ति दिया जाना सम्भव नहीं है। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। पत्र की छाया प्रति संलग्न है। (छायाप्रति संलग्नक-4)

3— यह कि वन संरक्षक, बस्ती वृत्त बस्ती के पत्र सं0-2552/10-1 दिनांक 08.03.2021 द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2021 के अनुपालन में यथोचित कार्यवाही हेतु मुख्य पर्यावरण अधिकारी लखनऊ से अनुरोध किया गया। पत्र की छायाप्रति संलग्न है। (छायाप्रति संलग्नक-5)

4— यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2021 के अनुपालन हेतु दिनांक 15.03.2021 को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) संतकबीरनगर की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी। कार्यवृत्ति की छायाप्रति संलग्न है। (छायाप्रति संलग्नक-6) बैठक में दिये गये निर्देशों का प्रभावी अंश निम्नवत् है:—

(2)


“क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती द्वारा दी गयी सर्शत अनुमति दिया जाना उचित नहीं है, क्यों कि समिति द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आराजी संख्या- 2214 मिलजुमला नम्बर है, जिसमें वन विभाग का भी नाम अंकित है तथा विभिन्न काश्तकारों के भी नाम भी अंकित है। जब तक नक्शे में विभाजन नहीं कर दिया जाता तथा सबके खाता अलग-अलग नहीं कर दिया जाता है, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि मेसर्स एस०एन० ब्रिक फील्ड ईट भट्ठा वन भूमि पर नहीं है। प्रभागीय वनाधिकारी संतकबीरनगर द्वारा ईट भट्ठा के संचालन हेतु अनापत्ति नहीं दिये जाने के बावजूद भी क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती द्वारा सर्शत अनुमति दी गयी जो उचित नहीं है।

ग्राम जंगल बेलहर में चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है। चकबन्दी के दौरान जंगल खाते भूमि एवं डबल इन्ट्री के सम्बन्ध में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी अभिलेखों का परीक्षण करने हेतु टीम गठित कर नियमानुसार जंगल खाते की भूमि को सुरक्षित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें”।

5- यह कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2021 के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक-2318/2-6 दिनांक 08.03.2021 एवं पत्रांक-2437/2-6 दिनांक 19.03.2021 के द्वारा याची श्री मनमोहन शर्मा को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समस्त अभिलेखीय साक्ष्यों/रिकार्ड प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 22.03.2021 एवं 24.03.2021 को कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र उ०प्र० गोरखपुर में उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया, परन्तु याची श्री मनमोहन शर्मा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। उक्त पत्रों की छायाप्रतियाँ संलग्न है। (छायाप्रति संलग्नक-7, 7ए)

उपरोक्त उल्लिखित अभिकथनों से स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2021 का विभाग द्वारा पूर्ण रूपेण अनुपालन किया गया है। अतः आख्या माननीय न्यायालय की सेवा में निवेदन के साथ प्रेषित है।

भवदीय




मुख्य वन संरक्षक  
पूर्वी क्षेत्र उ०प्र० गोरखपुर  
(प्रतिवादी सं०-14)

संख्या 2154 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-6, उ०प्र० प्रदूषण, नियंत्रण बोर्ड, T.C/12V, विभूति खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ। ( ई-मेल/रजिस्टर्ड )
- 2- वन संरक्षक, बस्ती वृत्त बस्ती।
- 3- जिलाधिकारी संतकबीरनगर।
- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती। ( ई-मेल/रजिस्टर्ड )



मुख्य वन संरक्षक  
पूर्वी क्षेत्र उ०प्र० गोरखपुर  
(प्रतिवादी सं०-14)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी संतकबीरनगर वन प्रभाग, संतकबीरनगर।

पत्रांक-2281/33-1 दिनांक, संतकबीरनगर, अप्रैल 11/2019

सेवा में,

जिलाधिकारी (नामदे)  
संतकबीरनगर।विषय:- मेसर्स एस0एन0 त्रिक फील्ड (पूर्वनाम राय त्रिक फील्ड) गाटा सं0- 2214/1 जंगल बेलहर, तहसील-  
मेंहदावल, जनपद-संतकबीरनगर के सम्बन्ध में।संदर्भ:- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-8) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ का संदर्भित पत्र  
33964/सी-8/ईट भट्टा/168/बरती/2019 दिनांक 25.03.2019 (छायाप्रति संलग्न)

महोदय,

निवेदन है कि मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-8) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के संदर्भित पत्र द्वारा मेसर्स एस0एन0 त्रिक फील्ड (पूर्वनाम राय त्रिक फील्ड) गाटा सं0- 2214/1 ग्राम- जंगल बेलहर, तहसील-मेंहदावल, जनपद-संतकबीरनगर में वन भूमि पर स्थापित है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में जांच कराकर आख्या मांगी गयी है, जिसकी स्थिति निम्न प्रकार है:-

ग्राम- जंगल बेलहर, तहसील-मेंहदावल, जनपद-संतकबीरनगर में भा0व0अधि 1927 की धारा-4 के अन्तर्गत निम्न प्रकार वन भूमि घोषित है:-

क्र0 सं0	गजट नोटिफिकेशन की संख्या व दिनांक	गजट का दिनांक	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	2	3	4
1	1801(4)/14-76-54 दिनांक-19.04.1954	01.05.1954	541.00 एकड़ and all uncultivated land
2	23(2)-48/14-ख-66 दिनांक-21.11.1966	21.11.1966	46.30 एकड़
3	23 (3)-74/14-ख-68 दिनांक 08.10.1968	30.11.1968	214.28 एकड़
कुल योग-			801.58 एकड़ and all uncultivated land

ग्राम-जंगल बेलहर के उपरोक्त क्र0सं0-1 के गजट में गाटावार क्षेत्रफल अंकित नहीं है तथा क्र0सं0-2 व 3 के गजट में गाटावार क्षेत्रफल अंकित है, किन्तु क्र0सं0-2 व 3 के गजट में गाटा सं0- 2214 अंकित नहीं है। उक्त ग्राम में अंकित गाटा सं0-2214 काफी बड़े भू-भाग में स्थित है, जिसमें विभिन्न कारतकारों के साथ साथ वन विभाग का मिला नम्बर है क्र0सं0-1 में अंकित गजट के सापेक्ष खसरा सन् 1359 फसली के अनुसार गाटा सं0-2214 का कुल रकबा 67 बीघा 02 विस्वासी अंकित है जिसमें से 2214/18 रकबा 08 बीघा 18 विस्वा 04 विस्वासी (1.747 हे0) (छायाप्रति संलग्नक-1) जंगल दर्ज है, और यही क्षेत्र सन् 1360 फसली की खतीनी में भी जंगल के नाम से अंकित है किन्तु वर्तमान खतीनी में गाटा सं0- 2214/11मि0 वन विभाग के नाम 1.213 हे0 ही अंकित है। (संलग्नक-2) इस प्रकार गाटा सं0- 2214 में 0.534 हे0 भूमि की स्थिति स्पष्ट नहीं है और न ही अभी तक इसका खतीनी में अमलदरामद हो पाया है।

ग्राम-जंगल बेलहर में उपरोक्त सारिणी के अनुसार भा0व0अधि 1927 की धारा-4 के अन्तर्गत कुल 801.58 एकड़ (324.40 हे0) and all uncultivated land घोषित है किन्तु वर्तमान खतीनी के अनुसार वन विभाग के नाम 184.681 हे0 अमलदरामद है। उक्त ग्राम में क्र0सं0-1 में अंकित वर्ष 1954 के गजट (छायाप्रति संलग्नक-3) में गाटावार क्षेत्रफल अंकित नहीं होने के कारण राजस्व विभाग द्वारा गजट के अनुरूप अभी तक सम्पूर्ण वन भूमि का अमलदरामद नहीं किया गया है, जिसके कारण मीके पर काफी विवाद है। वर्तमान में उक्त ग्राम चकबन्दी के अन्तर्गत है, राजस्व विभाग/चकबन्दी विभाग को गजट के अनुसार सम्पूर्ण वन भूमि का अमलदरामद हेतु लिखा गया था किन्तु चकबन्दी विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत धारा-9 के प्रकारान के उपरान्त सभी पक्षों को सुनकर निर्णय उपरान्त अमलदरामद की कार्यवाही की जायेगी।

उक्त प्रकरण में हो रही शिकायत एवं वन विभाग व ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के दृष्टिगत मण्डलायुक्त महोदय वस्ती मण्डल वस्ती की अध्यक्षता में दिनांक 20.02.2019 को राजस्व विभाग, चकबन्दी विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में एक संयुक्त बैठक की गयी जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम- जंगल बेलहर में भा0व0अधि 1927 की धारा-4 की अधिसूचना के अनुसार सन्- 1359 फसली की खतीनी के आधार पर वन विभाग द्वारा प्रेषित गाटावार (मिला नम्बर सहित) को चकबन्दी से पृथक् रखा जाय सुलभ संदर्भ हेतु उक्त बैठक में लिए गये निर्णय के सम्बन्ध में, मण्डलायुक्त महोदय वस्ती मण्डल वस्ती के इस्ताफर से जारी कार्यवृत्त का पत्र सं0- 2383/33-1 दिनांक 27.02.2019 की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-4)

मण्डलायुक्त महोदय बस्ती मण्डल बस्ती के द्वारा जारी उक्त निर्देश के क्रम में धारा-4 के गजट के अनुरूप धारा-20 तक की वन बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण करके सीमांकन करने हेतु वन बन्दोबस्त अधिकारी संतकबीरनगर को इस कार्यालय के पत्रांक 2065/33-1 दिनांक 11.03.2019 के द्वारा समस्त अभिलेखों के साथ भेजा गया है। सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक-5)

2- प्रश्नगत प्रकरण में यह भी अवगत कराना है कि ग्राम- जंगल बेलहर, तहसील-महदावल, जनपद-संतकबीरनगर में उक्त धारा-4 के अर्न्तगत घोषित वन भूमि में राजस्व विभाग द्वारा विभिन्न गाटाओं में क्षेत्रफल 54.189 हे० में विभिन्न काश्तकारों के नाम से कृषि भूमि का पट्टा कर दिया गया था जिसकी जानकारी होने पर प्रभागीय निदेशक सा०वा० वन प्रभाग बस्ती द्वारा 12/1989 में जिलाधिकारी के न्यायालय में पट्टा निरस्तीकरण का वाद दायर किया गया जिसे जिलाधिकारी संतकबीरनगर द्वारा विधिवत सुनवाई के उपरान्त दिनांक 12.06.2017 को पट्टा निरस्त कर दिया गया (छायाप्रति संलग्नक-8) तथा प्रभावित व्यक्तियों द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध मण्डलायुक्त, बस्ती मण्डल, बस्ती के न्यायालय में निगरानी वाद दायर किया गया, जिसे मण्डलायुक्त महोदय द्वारा दिनांक 11.10.2018 को खारिज कर दिया गया।

तत्पश्चात प्रभावित व्यक्तियों द्वारा जिलाधिकारी संतकबीरनगर के आदेश दिनांक 12.06.2017 एवं मण्डलायुक्त महोदय बस्ती मण्डल बस्ती के आदेश दिनांक 11.10.2018 के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका सं०-42062/2018 गनेश एवं 28 अन्य बनाम कमिश्नर बस्ती एवं 04 अन्य तथा रिट याचिका सं०-1305/2019 हेदायतुल्लाह व 19 अन्य बनाम स्टेट आफ यू०पी० एवं 04 अन्य के विरुद्ध वाद दायर किया गया है, जिसमें मण्डलायुक्त बस्ती एवं जिलाधिकारी भी प्रतिवादी है। उक्त रिट में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा बिना विभाग का पत्र सुने ही एकतरफा क्रमशः दिनांक 19.12.2018 एवं दिनांक 22.01.2019 को स्थगन आदेश पारित किया गया है छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-7 व 8) जिसमें प्रश्नगत गाटा सं०- 2214 भी सम्मिलित है। उक्त रिट याचिका एवं स्थगन आदेश को निरस्त कराने के सम्बन्ध में राजस्व एवं वन विभाग की ओर से प्रतिशपथ-पत्र दाखिल कराने की कार्यवाही की जा रही है।

3- प्रश्नगत प्रकरण में यह भी अवगत कराना है कि मेसर्स एस०एन० ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम राय ब्रिक फील्ड) ग्राम-जंगल बेलहर द्वारा गाटा सं०- 2225 जिसमें वन विभाग एवं विभिन्न काश्तकारों की मिलजुमला भूमि है, वन भूमि के गाटा सं०- 2278 व 2280 से सटे 100 मी० की सीमा के अन्दर उक्त ईट भट्टा में प्रयोग हेतु ईट निर्माण के लिए अवैध रूप से मिट्टी खनन का कार्य वन क्षेत्र में स्थित वृक्षों से सटा कर किया गया, जिसकी किसी भी स्तर से कोई अनापत्ति/ अनुमति नहीं थी तथा उक्त ईट भट्टा वन क्षेत्र की सीमा से लगभग 130 मी० की दूरी पर तथा उसकी विमनी 160 मी० की दूरी पर स्थापित होने के दृष्टिगत वन एवं वन भूमि का किसी भी प्रकार से क्षति न हो इसलिए इस कार्यालय के पत्रांक 1456/33-1 दिनांक 24.04.2017 (छायाप्रति संलग्नक-9) के द्वारा जिलाधिकारी संतकबीरनगर को उक्त ईट भट्टा के लाइसेन्स को मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा निरस्त करने हेतु लिखा गया है तथा जिलाधिकारी संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 12.06.2017 को उक्त ग्राम के गाटा सं०- 2224 में पट्टा निरस्त करने के उपरान्त ईट भट्टा की निकटतम सीमा 68 मी० व ईट पकाने वाली गोलाई 95 मी० तथा विमनी की दूरी 119 मी० की दूरी पर स्थित होने के कारण मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक 2305/33-1 दिनांक 12.06.2018 के द्वारा उक्त ईट भट्टे के लाइसेन्स को निरस्त करने हेतु लिखा गया है। सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक-10) तथा शासनादेश सं०- 5006/18-11-98-100 (डब्ल्यू) 98 दिनांक 19.09.1998 के निर्देशानुसार वन क्षेत्र की 100 मी० की परिधि में अवैध खनन आदि कार्य करने के कारण उक्त ईट भट्टा के मालिकों के विरुद्ध भा०व०अधि० 1927 की धारा-26 एवं 63 (ग) के अर्न्तगत वन अपराध पंजीकृत करने के उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 2418/10-1 दिनांक 22.06.2018 के द्वारा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी संतकबीरनगर को उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय से उचित दण्ड हेतु भेजा गया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक- 11)

4- उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बस्ती के पत्र सं०- 875/सा०-70/रिट याचिका/एन०जी०टी०/2018 दिनांक 28.12.2018 (छायाप्रति संलग्नक-12) के द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए०सं० 787/2017 में ओ०ए०सं०-40/2018 मनमोहन शर्मा बनाम स्टेट आफ यू०पी० एवं अन्य के सम्बन्ध में दिनांक 10.08.2018 को पारित आदेश को संलग्नकर आस्था भांगी गयी है, जिसमें मेसर्स राज ब्रिक फील्ड (वर्तमान नाम-मेसर्स एस०एन०ब्रिक फील्ड) घांसी न०-2214/11 निवासी- जंगल बेलहर, तहसील-महदावल, जनपद-संतकबीरनगर भी प्रतिवादी न०-08 है, में N.G.T. द्वारा दिनांक 10.08.2018 को पारित आदेश का अंश निम्न प्रकार है:-

In view of the aforesaid circumstances, particularly the fact that when the brick kiln of respondent no.6 was closed down in the month of December, 2017, later on he has restarted the same with the different name. However, the PCB took note of it and again closed the same on 10.07.2018,

We direct the District Magistrate, district Sant Kabir Nagar, and Superintendent of police in the District to keep a regular vigil over the area and no brick kiln should come up again and there should not be any sort of destruction to the forest.

.....3

उपरोक्त प्रकरण में श्री मनमोहन शर्मा द्वारा किये गये शिकायती पत्र पर मा० सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश के क्रम में मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के पत्रांक 168/संतकबीरनगर/18 दिनांक 26.10.2018 के द्वारा एन०जी०टी० के आदेश के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर को पत्र लिखा गया, जिसके क्रम में जिलाधिकारी संतकबीरनगर के पत्रांक 536/(1)/खनन सहायक दिनांक 20.11.2018 एन०जी०टी० के आदेश के अनुपालन हेतु इस आशय से प्रेषित किया गया कि बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये किसी भी अवैध भट्टे का पुनः संचालन न हो एवं किसी भी ईट-भट्टे से वन एवं वन भूमि का विनाश न होने पाये। (छायाप्रति संलग्नक-13)

उपरोक्त परिस्थितियों के कारण क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बस्ती के द्वारा मांगी गयी सूचना के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1911/10-1 दिनांक 21.02.2019 के द्वारा (छायाप्रति संलग्नक-14) यह सूचित किया गया है कि सभी ईट भट्टे परोक्ष/अपरोक्ष रूप से पर्यावरण को क्षति पहुंचाये जाने के दृष्टिगत माननीय राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा संज्ञान में लिया गया है। अतएव विषयगत प्रकरण में एन०जी०टी० के आदेश का अनुपालन किया जाय।

उपरोक्त प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि ग्राम-जंगल बेलहर के अधिकांश बड़े-बड़े गाटों में जिसमें वन विभाग व विभिन्न काश्तकारों के मिलजुमला गाटे व क्षेत्रफल है तथा जिनकी सीमायें मौके पर स्पष्ट नहीं है एवं वर्तमान खतीनी में बन्दोबस्त के मूल रकबे से फर्जी तरीके से अधिक क्षेत्रफल अंकित है और जब तक गाटे की सीमाओं को स्पष्ट करते हुए सभी गाटों से बन्दोबस्त के मूल रकबे से अधिक दर्ज रकबे को नियमानुसार खारिज नहीं कर दिया जायेगा। तब तक इस समस्या का निदान किसी भी दशा में होना सम्भव नहीं है। इसी कारण से मण्डलायुक्त महोदय द्वारा ऐसे क्षेत्रों के चकबन्दी से बाहर करके वन बन्दोबस्त हेतु वन बन्दोबस्त अधिकारी संतकबीरनगर को निर्देश दिया गया है जिसके क्रम में वन बन्दोबस्त अधिकारी संतकबीरनगर को वन बन्दोबस्त कार्य हेतु सभी अभिलेख प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्नगत प्रकरण में अधोहस्ताक्षरी का मत है कि जब तक मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद से वाद का निर्णय एवं वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्रों का अमलदरामद तथा ग्राम-जंगल बेलहर में भा०व०अधि० 1927 की धारा-20 तक की वन बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्यवाही वन बन्दोबस्त अधिकारी संतकबीरनगर द्वारा पूर्ण नहीं कर ली जाती है तब तक विषयगत प्रकरण में वन विभाग द्वारा अनापत्ति दिया जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः अनुसंध है कि उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए फिर भी यदि आवश्यक हो तो राजस्व विभाग, चकबन्दी विभाग एवं वन विभाग की एक संयुक्त टीम गठित करके अभिलेखों एवं सीके के स्थिति के अनुसार प्रकरण को निस्तारित कराने की कृपा करें ताकि पर्यावरण विभाग को विषयगत प्रकरण में तदनुसार सूचित किया जा सके।  
संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा०रंगाराजू टी०)

प्रभागीय वनाधिकारी

संतकबीरनगर वन प्रभाग, संतकबीरनगर।

ई-मेल

संख्या / उक्तदिनांकित।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को संदर्भित पत्र में उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6) उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टी०सी०/12वी, विभूती खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-228010।
  - 2- मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र उ०प्र० गोरखपुर।
  - 3- वन संरक्षक, बस्ती वृत्त बस्ती।
  - 4- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बस्ती।
  - 5- उप प्रभागीय वनाधिकारी, संतकबीरनगर एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी मेहदावल।

(डा०रंगाराजू टी०)

प्रभागीय वनाधिकारी

संतकबीरनगर वन प्रभाग, संतकबीरनगर।



जिलाधिकारी  
संत कबीर नगर  
दिनांक 17 जून 2019

कार्यालय उपजिलाधिकारी मेंहदावल, संत कबीर नगर।

पत्रांक 496 / एस0टी0-19

जिलाधिकारी,  
संत कबीर नगर।

महोदय,

मे0 एस0एन0 ब्रिक फील्ड, (पूर्व नाम राय ब्रिक फील्ड) गाटा सं0 2214/1 जंगल बेलहर, तहसील-मेंहदावल, संत कबीर नगर के सम्बन्ध में आपके द्वारा गठित कमेटी जिसमें उपजिलाधिकारी मेंहदावल, बन्दोबरस्त अधिकारी संत कबीर नगर, चकबन्दी अधिकारी संत कबीर नगर, प्रभागीय वनाधिकारी संत कबीर नगर, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत संत कबीर नगर, खनन निरीक्षक संत कबीर नगर को सदस्य नामित किया गया है। उक्त सदस्यों की बैठक आपके निर्देशानुसार दिनांक 04.06.2019 को सम्पन्न हुई। बैठक में सम्बन्धित अभिलेखों एवं विषय पर सम्यक विचार किया गया। विचारोपरान्त निम्नांकित तथ्य बिन्दुवार उल्लेखित हैं:-

**बिन्दु सं0 1:-**प्रभागीय वनाधिकारी महोदय, संत कबीर नगर द्वारा अपनी आख्या दिनांक 11 अप्रैल 2019 के प्रथम पैरा में ग्राम-जंगल बेलहर में वन विभाग की भूमि के सम्बन्ध में जो तथ्य अंकित किये गये हैं, उससे कमेटी के किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक प्रश्न गाटा सं0 2214 मिनजुमला में वर्तमान खतौनी 1359 फसली के सापेक्ष रक्बा कम होने का प्रश्न है तो अभिलेखीय परीक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि वर्तमान खतौनी में कुछ कारशतकारों के नाम डबल इन्ट्री हैं तथा कुछ वन भूमि का पट्टा हो गया था, जिसे जिलाधिकारी महोदय संत कबीर नगर द्वारा निरस्त कर दिया गया है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 12.06.2017 द्वारा गाटा सं0 2214/18 वन भूमि पर हुये पट्टों को निरस्त करते हुए 04 बीघा 14 विस्वा 7 धुर पुनः जंगल भूमि में दर्ज करने का आदेश पारित किया जा चुका है।

उक्त आदेश के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट सं0 1305/2019 के द्वारा याचिका योजित की गयी है, जिसमें दिनांक 22.01.2019 को स्थगन आदेश भी पारित किया गया है।

**बिन्दु सं0 2:-**प्रभागीय वनाधिकारी महोदय ने बिन्दु सं0 2 के पैरा में यह प्रश्न उठाया है कि ग्राम-जंगल बेलहर में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के अन्तर्गत कुल 801.5818 (324.40 हे0) घोषित है, किन्तु वर्तमान खतौनी के अनुसार वन विभाग के नाम 184.681 हे0 अमलदरामद है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी महोदय संत कबीर नगर ने स्वयं यह स्वीकारा है कि उक्त ग्राम में कम सं0 अंकित 1 में 1954 के गजट में गाटावार क्षेत्रफल नहीं होने के कारण राजस्व विभाग द्वारा गजट के अनुरूप अभी तक सम्पूर्ण वन भूमि का अमलदरामद नहीं किया गया, जिसके कारण मौके पर काफी विवाद है।

नियमतः वन विभाग को 1954 के गजट के अनुरूप वन बंदोबरस्त अधिकारी के न्यायालय से परवाना अमलदरामद जारी करवाना चाहिए था तथा गाटावार विवरण उपलब्ध कराना चाहिए था जो तत्समय नहीं किया गया।

वस्तुतः वर्तमान में ग्राम-जंगल बेलहर चकबन्दी में है तथा धारा 9 के प्रकारान के उपशत सभी पक्षों को सुनकर निर्णयोपरान्त अमलदरामद की जायेगी।

**बिन्दु सं0 3:-**प्रभागीय वनाधिकारी ने बिन्दु सं0 2, 3 व 4 के पैरा में जो विषय वस्तु अंकित की है, उस सम्बन्ध में कमेटी की आम सहमति है। जहां तक यह प्रश्न है कि मे0 एस0एन0 ब्रिक फील्ड गाटा सं0 2214/1 ग्राम-जंगल बेलहर, तहसील-मेंहदावल, जनपद-संत कबीर नगर वन भूमि पर स्थापित है या नहीं, इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाना समीचीन होगा कि आ0सं0 2214 मिनजुमला न0 है, जिसमें वन विभाग का भी नाम अंकित है तथा विभिन्न कारशतकारों के भी नाम

*(Handwritten signatures and initials)*

अंकित हैं। इन काश्तकारों में मे० एस०एन० ब्रिक फील्ड ईट भट्टा के स्वामियों का भी नाम अंकित है, किन्तु राजस्व नक्शे में इनका विभाजन नहीं किया गया है।

अतः जब तक नक्शे में विभाजन नहीं कर दिया जाता तथा सबके खाते अलग-अलग नहीं कर दिये जाते तब तक यह अन्तिम रूप से नहीं कहा जा सकता कि उक्त ईट भट्टा वन भूमि में स्थापित है अथवा नहीं, लेकिन यह कमेटी के सभी सदस्यों को मान्य है कि मे० एस०एन० ब्रिक फील्ड के स्वामियों के नाम भी आ० सं० 2214 मिनजुमला में संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है।

मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद से सम्बन्धित याचिका निस्तारित होने के उपरान्त तथा धारा 9 के प्रकाशन के पश्चात् आ० सं० 2214 के खातों का पृथक-2 विभाजन किया जा सकेगा तथा नक्शे में भी सभी खातों को पृथक-2 प्रदर्शित किया जा सकेगा।

अतः कमेटी की आख्या महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

*Jyoti 04/6/19*

उपप्रभागयीय वनाधिकारी, संत कबीर नगर।

*[Signature]*  
बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी,  
संत कबीर नगर।

*[Signature]*  
उपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत  
संत कबीर नगर।

*[Signature]*  
खनन निरीक्षक,  
संत कबीर नगर।

*[Signature]*  
उपजिलाधिकारी,  
मेंहदावल।

## कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र, उ०प्र०, गोरखपुर

पत्रांक २५८० / २-६, गोरखपुर, दिनांक, मार्च २३/२०२१

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,  
सा०वा० प्रभाग, संतकबीरनगर।

विषय : ओ०ए० संख्या ४७/२०२१ मनमोहन शर्मा बनान उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दिनांक ०२.०३.२०२१ के अनुपालन किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक २३१८/२-६ दिनांक ०८.०३.२०२१ एवं २४३७/२-६ दिनांक १९.०३.२०२१

महोदय,

उक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली द्वारा दिनांक ०२.०३.२०२१ के अनुपालन में याची का पक्ष सुनकर एक्शन टेकन हेतु संदर्भित पत्र दिनांक ०८.०३.२०२१ तथा १९.०३.२०२१ द्वारा याची को पत्र निर्गत कर पक्ष प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। किन्तु याची मनमोहन शर्मा ने मेल के माध्यम से अवगत कराया है कि "श्रीमान् जी कोरोना काल में मैं आपको गोरखपुर आकर जवाब नहीं दे सकता हूँ।"

उक्त के अतिरिक्त एक अन्य फरीक श्री सुनील राय मेसर्स एस०एन० ब्रिकफिल्ड (पूर्व नाम में राय ब्रिक फिल्ड) का प्रार्थना पत्र दिनांक १२.०३.२०२१ इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। अतएव उक्त प्रार्थना पत्रों को संलग्नक सहित इस आशय से प्रेषित है कि प्रकरण में समुचित कार्यवाही करते हुए अपनी आख्या वन संरक्षक के माध्यम से अविलम्ब प्रेषित करें।

संलग्नक:- १. यथोपरि।

२. रिट की प्रति मेल से प्राप्त करें।

भवदीय

(वी०के० चोपड़ा)

मुख्य वन संरक्षक

पूर्वी क्षेत्र, उ०प्र०, गोरखपुर

संख्या २५८० / समदिनांकित

प्रतिलिपि वन संरक्षक बस्ती वृत्त को इस आशय से कि प्रभागीय निदेशक, संतकबीरनगर से उनकी आख्या प्राप्त कर उसका परीक्षण करते हुए अपनी आख्या अविलम्ब उपलब्ध करायें। साथ ही प्रकरण में समयबद्ध रूप से कार्यवाही कराते हुए मा० एन०जी०टी० में अधोहस्ताक्षरी पक्ष का समावेश करते हुए उत्तर दाखिल कराये। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत मामलें में मा० एन०जी०टी० में दिनांक २१.०५.२०२१ को सुनवायी होनी है।

(वी०के० चोपड़ा)

मुख्य वन संरक्षक

पूर्वी क्षेत्र, उ०प्र०, गोरखपुर

## कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी संतकबीरनगर वन प्रभाग संतकबीरनगर।

पत्रांक- 2413 / 33 - 1 दिनांक : संतकबीरनगर : मई 13 / 2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक  
पूर्वी क्षेत्र, उ०प्र०,  
गोरखपुर।

विषय:- मेसर्स एस०एन०ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम राय ब्रिक फील्ड) द्वारा ग्राम- जंगल बेलहर, तहसील- मेहदावल, जनपद- संतकबीरनगर में ईट- भट्टों की स्थापना हेतु अनापत्ति के सम्बन्ध में।  
संदर्भ:- उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पत्र सं०-59968/06/आ०/620/ओ०ए०एन० 47/2021 दिनांक 12.03.2021 एवं मनमोहन शर्मा बनाम उ०प्र० सरकार एवं अन्य के नाम से मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में दाखिल ओरिजनल अप्लीकेशन न०- 47/2021 में दिनांक 02.03.2021 को पारित अन्तरिम आदेश (छाया प्रति संलग्नक-1)

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि विषयगत मामलों में मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली के आदेश दिनांक 02.03.2021 की प्रति जिलाधिकारी संतकबीरनगर के कार्यालय से अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ है, जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत मामलों में आपके पत्र संख्या एच- 33964/सी-6/ईट भट्ट/01/168/बस्ती/2019 दिनांक 25.03.2019 के द्वारा यह आख्या मांगी गयी थी कि मेसर्स एस०एन० ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम राय, ब्रिक फील्ड) गाटा सं०- 2214/1 जंगल बेलहर, तहसील-मैंहदावल, जनपद-संतकबीरनगर वन भूमि पर स्थापित है अथवा नहीं।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि गाटा सं०- 2214 काफी बड़े भू-भाग में है, जिसमें वन विभाग व विभिन्न काश्तकारों के मिलजुमला क्षेत्रफल अंकित होने के दृष्टिगत एवं वन विभाग की भूमि का मा०व० अधि० 1927 की धारा-20 नहीं होने के कारण तथा उक्त ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत होने से राजस्व मानचित्र में तरमीम नहीं होने के कारण जिलाधिकारी संतकबीरनगर से उक्त के निस्तारण हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक-2281/33-1 दिनांक 11.04.2019 के द्वारा अनुरोध किया गया था। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी संतकबीरनगर के कार्यालय के पत्रांक-424/शि०लि० दिनांक 04.05.2019 के द्वारा उप जिलाधिकारी मैंहदावल की अध्यक्षता में वन विभाग एवं चकबन्दी अधिकारी की एक संयुक्त टीम गठित की गयी थी, तत्क्रम में उक्त टीम द्वारा जिलाधिकारी संतकबीरनगर को दिनांक 04.06.2019 को संयुक्त आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसके क्रम में जिलाधिकारी संतकबीरनगर द्वारा दिये गये निर्देश एवं आपके उक्त पत्र दिनांक 25.03.2019 के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक-2894/33-1 दिनांक 28.06.2019 के द्वारा जांच आख्या एवं अन्य अभिलेखों के साथ आपको ई-मेल एवं रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया गया है जिसमें अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि संयुक्त जांच आख्या के दृष्टिगत प्रश्नगत ईट भट्टा के संचालन हेतु अनापत्ति दिया जाना सम्भव नहीं है। सुलभ संदर्भ हेतु इस कार्यालय का पत्रांक-2894/33-1 दिनांक 28.06.2019 की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। (संलग्नक-2)

अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अनुरोध है कि मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली के दिनांक 02.03.2021 के आदेश के अनुपालन हेतु कृपया अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।  
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा० रंगाराज टी०)

प्रभागीय वनाधिकारी

संतकबीरनगर वन प्रभाग संतकबीरनगर।

संख्या : 2413 / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, बस्ती वृत्त, बस्ती।
- 2- जिलाधिकारी संतकबीरनगर।
- 3- मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-6 उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गोमतीनगर लखनऊ।

(डा० रंगाराज टी०)

प्रभागीय वनाधिकारी

संतकबीरनगर वन प्रभाग संतकबीरनगर।



संलग्नक - 5

रजिस्टर्ड

## कार्यालय-वन संरक्षक, बस्ती वृत्त, बस्ती

E-Mail - ID : cfbasti1947@gmail.com

Office : Conservator of Forests Basti Circle-Basti, Near-Toll Plaza, Marwa Nagar

Post-Purani Basti, Distt.Basti Pin-272002

पत्रांक 2552 / 10-1 बस्ती, दिनांक मार्च 08 / 2021

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,  
वृत्त-6, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टी०सी०/12 वी विभूमि खण्ड, गोमतीनगर,  
लखनऊ-226010

विषय :- मेसर्स एस०एन०ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम राय ब्रिक फील्ड) द्वारा ग्राम-जंगल बेलहर, तहसील-मेहदावल, जनपद-सन्तकबीरनगर में ईट-भट्टों की स्थापना हेतु अनापत्ति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- मनमोहन शर्मा बनाम उ०प्र० सरकार एवं अन्य के नाम से मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में दाखिल ओरिजनल अपलीकेशन नं०-47/2021 में दिनांक 02.03.2021 को पारित अन्तरिम आदेश एवं प्रभागीय वनाधिकारी, सन्तकबीरनगर वन प्रभाग, सन्तकबीरनगर का पत्र सं०-1976/33-1 दिनांक 04.03.2021 जो आपको सम्बोधित एवं इस कार्यालय व अन्य को पृष्ठांकित है। (छायाप्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करे, जिसके माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी, सन्तकबीरनगर वन प्रभाग, सन्तकबीरनगर द्वारा प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित विस्तृत आख्या प्रेषित करते हुये ओरिजनल अपलीकेशन नं०-47/2021 मनमोहन शर्मा बनाम उ०प्र० सरकार एवं अन्य में मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2021 के अनुपालन में आपके स्तर से यथोचित कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया है। कृपया मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 02.03.2021 के अनुपालन में यथोचित कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से प्रभागीय वनाधिकारी, सन्तकबीरनगर वन प्रभाग, सन्तकबीरनगर एवं इस कार्यालय को अवगत कराने की कृपा करें।  
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आनन्द प्रकाश पाठक)

वन संरक्षक  
बस्ती वृत्त, बस्ती

संख्या : / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र, उ०प्र०, गोरखपुर।
2. जिलाधिकारी, सन्तकबीरनगर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, सन्तकबीरनगर वन प्रभाग, सन्तकबीरनगर।

(आनन्द प्रकाश पाठक)

वन संरक्षक  
बस्ती वृत्त, बस्ती

कार्यवृत्त

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2021 अनुपालन हेतु दिनांक 15.03.2021 पूर्वान्ह 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी जिसमें निम्न अधिकारी उपस्थित रहे।

1. जिला प्रभागीय वनाधिकारी।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के प्रतिनिधि।

बैठक में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मनमोहन शर्मा बनाम उ0प्र0 आदि में पारित आदेश दिनांक 02.03.2021 अनुपालन के क्रम में अवगत कराया गया कि ग्राम जंगल बेलहर तहसील मेहदावल जनपद संत कबीर नगर के वन भूमि के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी मेहदावल की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें प्रभागीय वनाधिकारी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, खान अधिकारी, एवं चकबन्दी अधिकारी सम्मिलित थे।

प्रभागीय वनाधिकारी संत कबीर नगर द्वारा अपने पत्र संख्या 2894/33-1 दिनांक 28 जून 2019 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि मेसर्स एस0एन0 ब्रिक फील्ड गाटा संख्या 2214/1 ग्राम जंगल बेलहर तहसील मेहदावल वन भूमि पर स्थापित है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आराजी संख्या 2214 मिलजुमिला नम्बर है, जिसमें वन विभाग का भी नाम अंकित है तथा विभिन्न काश्तकारों के भी नाम भी अंकित है। इन काश्तकारों में मेसर्स एस0एन0 ब्रिक फील्ड ईट भट्टा के स्वामियों का भी नाम अंकित है, किन्तु राजस्व नक्शों में इनका विभाजन नहीं है। जबतक नक्शों में विभाजन नहीं कर दिया जाता तथा सबके खाता अलग-अलग नहीं कर दिया जाता है, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त ईट भट्टा वन भूमि में स्थापित है अथवा नहीं। उक्त के अतिरिक्त जांच आख्या में यह भी अंकित है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सम्बन्धित रिट याचिका निस्तारित होने के उपरान्त तथा धारा 9 के प्रकाशन के पश्चात आराजी न0 2214 के खातों का पृथक-पृथक विभाजन किया जा सकेगा तथा नक्शों में भी सभी खातों को पृथक-पृथक प्रदर्शित किया जा सकेगा। समिति की जांच आख्या के दृष्टिगत वन विभाग द्वारा ईट भट्टा के संचालन हेतु अनापत्ति नहीं दिया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती का कथन है कि ईट भट्टे द्वारा सहमति हेतु आन लाइन आवेदन किया गया है। उपरोक्त विधिक अभिमत को दृष्टिगत रखते हुए ईट भट्टे के सहमति आवेदन पत्र पर गुण-दोष के आधार पर इस संशर्त ईट भट्टे के संचालन हेतु अनुमति दिया गया कि भविष्य में चकबन्दी के दौरान यदि गाटा सं0 2214/1 वन विभाग की भूमि में सम्मिलित हो जाता है। ऐसी अवस्था में बोर्ड द्वारा प्रदत्त सहमति स्वतः निरस्त हो जायेगी एवं ईट भट्टा संचालन का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि उक्त स्थल पर ईट भट्टे का संचालन समाप्त कर अपने ईट भट्टा एवं चिमनी को निजी व्यय पर डिस्मेन्टल करके बोर्ड को तत्काल सूचित किया जायेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती द्वारा दी गयी संशर्त अनुमति दिया जाना उचित नहीं है, क्योंकि समिति द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आराजी संख्या 2214 मिलजुमिला नम्बर है, जिसमें वन विभाग का भी नाम अंकित है तथा विभिन्न काश्तकारों के भी नाम भी अंकित है। जबतक नक्शों में विभाजन नहीं कर दिया जाता तथा सबके खाता अलग-अलग नहीं कर दिया जाता है, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि मेसर्स एस0एन0 ब्रिक फील्ड ईट भट्टा वन भूमि पर नहीं है। प्रभागीय वनाधिकारी संत कबीर नगर द्वारा ईट

उ0प्र0  
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती

2020  
20/3/21

मट्टा के संचालन हेतु अनापत्ति नहीं दिये जाने के बावजूद भी क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती द्वारा सशर्त अनुमति दी गयी जो उचित नहीं है।

ग्राम जंगल बेलहर में चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है। चकबन्दी के दौरान जंगल खाते भूमि एवं डबल इन्ट्री के सम्बन्ध में बन्दोवस्त अधिकारी चकबन्दी अभिलेखों का परीक्षण करने हेतु टीम गठित कर नियमानुसार जंगल खाते की भूमि को सुरक्षित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

(मनोज कुमार सिंह)  
अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०)  
संत कबीर नगर।

कार्यालय जिलाधिकारी, संत कबीर नगर।

संख्या 1895 / एस०टी०ए०डी०एम० / दिनांक 19 मार्च, 2021  
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-जिलाधिकारी महोदया, को अवलोकनार्थ।
- ✓2-जिला प्रभागीय वनाधिकारी।
- 3-क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती।
- 4-अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत।
- 5-बन्दोवस्त अधिकारी चकबन्दी संत कबीर नगर।

अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०)  
संत कबीर नगर।

पत्रांक 2096/331 दि 20/3/21

प्रतिलिपि → क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय को उपरोक्त दिखे गये लिपियों के अंत में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि → उप प्रभागीय वनाधिकारी संत कबीर नगर।

o/c

20/3/21  
अपर मुख्य अधिकारी  
संत कबीर नगर

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र, उ०प्र०, गोरखपुर

पत्रांक : 2310 / 2-6 गोरखपुर, दिनांक मार्च 8 / 2021

सेवा में,

श्री मनमोहन शर्मा पुत्र श्री घनश्याम,  
निवास Ist-151 प्रेमनगर-2  
सूलेमान नगर किरादी चौक,  
नियर 70 फिट रोड, दिल्ली।  
पिन कोड-116086,  
मो०नं०-9716832757  
ई-मेल-manmohan1783@gmail.com

विषय :- मेसर्स एस०एन० ब्रिक फिल्ड (पूर्वनाम राय ब्रिक फिल्ड) द्वारा ग्राम जंगल बेलहर, तहसील-मेंहदावल, जनपद-सन्तकबीरनगर में ईट-भट्टों की स्थापना हेतु अनापत्ति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में दाखिल ओरिजनल एप्लीकेशन सं०-47/2021 में दिनांक 02.03.2021 को पारित अन्तरिम आदेश (छाया प्रति संलग्न)

विषयगत मामलें में मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 02.03.2021 में प्रभावी अंश निम्न प्रकार है :-

In view of above, let the State PCB, the Chief Conservator of Forest (CCF), Gorakhpur and the District Magistrate, Sant Kabir Nagar, UP look into the grievance and take remedial action in accordance with law.

अतः अपनी शिकायती के सम्बन्ध में समस्त अभिलेखीय साक्ष्य/रिकार्ड सहित दिनांक 22.03.2021 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष "कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र, उ०प्र०, गोरखपुर" में उपस्थित होने का कष्ट करें। यहां आने से दो दिन पूर्व दूरभाष सं०-7839435325 पर सम्पर्क भी कर लें।

संलग्नक :- यथोपरि।

(वी०के० चोपड़ा)

मुख्य वन संरक्षक,  
पूर्वी क्षेत्र, उ०प्र०, गोरखपुर

संख्या : 2310 / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन संरक्षक, बस्ती वृत्त, बस्ती।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, सन्तकबीरनगर वन प्रभाग, सन्तकबीरनगर।

(वी०के० चोपड़ा)

मुख्य वन संरक्षक,  
पूर्वी क्षेत्र, उ०प्र०, गोरखपुर

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र, उ०प्र०, गोरखपुर  
पत्रांक 2437 / 2-6, गोरखपुर, दिनांक, मार्च 19 / 2021

सेवा में,

श्री मनमोहन शर्मा पुत्र श्री घनश्याम  
निवास Ist-151 प्रेमनगर-2  
सूलेमान नगर किरादी चौक  
नियर 70 फिट रोड, दिल्ली  
पिन कोड- 116086  
मो० नं०- 9716832757  
ई-मेल- manmohan1783@gmail.com

विषय : मेसर्स एस०एन० ब्रिक फिल्ड (पूर्वनाम राय ब्रिक फिल्ड) द्वारा ग्राम जंगल बेलहर, तहसील-मेंहदावल, जनपद- संतकबीरनगर में ईट- भट्टों की स्थापना हेतु अनापत्ति के संबंध में।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक 2318/2-6 दिनांक 08.03.2021 (सुलभ संदर्भ हेतु छाया प्रति संलग्न।)

विषयगत मामले में मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली द्वारा अपने अंतरिम आदेश दिनांक 02.03.2021 मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र, उ०प्र०, गोरखपुर को दिये गये निर्देश के क्रम में आप का पक्ष सुनकर कार्यवाही किये जाने हेतु आपको अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 22.03.2021 को इस कार्यालय के पत्रांक 2318/2-6 दिनांक 08.03.2021 (पंजीकृत डाक) द्वारा कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र, उ०प्र०, गोरखपुर में आमंत्रित किया गया है, और आने से दो दिन पूर्व दूरभाष सं० 7839435325 पर सम्पर्क कर लेने हेतु अवगत भी कराया गया है। किन्तु आप द्वारा अभी तक इस आशय की पुष्टि नहीं की गयी है कि दिनांक 22.03.2021 को आप अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु आ रहे हैं अथवा नहीं आ रहे हैं।

अतः आपको पुनः अवगत कराना है कि आप दिनांक 24.03.2021 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र, उ०प्र०, गोरखपुर में उपस्थित होने का कष्ट करें। आने से दो दिन पूर्व मो० नं० 7939435325 पर सम्पर्क कर लें।

संलग्नक:- यथोपरि।

अहोदय

आज दिनांक 19/03/2021 को 4.07 PM पर, श्री मनमोहन शर्मा द्वारा पत्र आया कि ईट-भट्टों की स्थापना हेतु अनापत्ति के लिए।  
19/03/2021

अहोदय

पत्र का उत्तर श्री मनमोहन शर्मा द्वारा ई.बेल से आया हुआ है। कृपया प्रेषण पर अपलोकनायक एवं निर्देश हेतु संलग्न है।

Vishal  
19/03/21  
(वी०के० चोपड़ा)  
मुख्य वन संरक्षक  
पूर्वी क्षेत्र, उ०प्र०, गोरखपुर